डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत, अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-505/डब्ल्यू.पी.

(क)

रजी क्रमांक भोपाल डिवीजन-122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त 1985—श्रावण शके 1907

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक
(ख) (1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम
(ग) (1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

संस्कृति विभाग

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 1985

क्र. 2101-तीस-सं. वि.—"मध्यप्रदेश राजपत्र" दिनांक 12 अगस्त 1983 भाग 4(ग) में प्रकाशित संस्कृति विभाग की अधिसूचना क्र. 3381-4437-तीस-सं. वि., दिनांक 24 सितम्बर 1982 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन अर्थाभावग्रस्त लेखकों और कलाकारों तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने के लिये निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

नियम

1. यह योजना ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने कला और साहित्य के विकास में योगदान दिया है, किन्तु अर्थाभावग्रस्त हैं और ऐसे लेखकों तथा कलाकारों के आश्रितों को, जो कि अपने परिवारों को असहाय छोड़ गये हैं, वित्तीय सहायता की योजना कहलायेगी.

2. पात्रता.–(एक) निम्नलिखित व्यक्ति वित्तीय सहायता के पात्र होंगे :–

(क) ऐसा व्यक्ति, जिसका कला तथा साहित्य के प्रति योगदान उल्लेखनीय हो.

(ख) परम्परागत विद्वान, जिन्होंने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया हो, भले ही उनका कोई ग्रंथ प्रकाशित न हुआ हो.

(ग) आश्रित (अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित मृत लेखक या कलाकार की विधवा पत्नी और नाबालिग बच्चे), विशेष परिस्थितियों में पूर्णतः आश्रित वृद्ध पिता, वृद्ध माता, नाबालिग भाई और बहिन, जो मृत लेखक/कलाकार के साथ रहते हों और उनकी आय का कोई स्रोत न हो.

(दो) ऐसे आवेदक और उनके आश्रित उसी स्थिति में वित्तीय सहायता के पात्र होंगे, जब कि उनकी मासिक आय निम्नलिखित से अधिक न हो :–

		मासिक आय की अधिकतम सीमा
1. परिवार के अकेले सदस्य के लिए	.. ..	300 रुपये
2. दो सदस्यों के लिए	.. ..	400 रुपये
3. तीन या तीन से अधिक सदस्यों के लिए	.. ..	600 रुपये

(क) परन्तु आय की अधिकतम सीमा का पुनर्निधारण प्रत्येक तीसरे वर्ष नियम 11 में उल्लिखित समिति के परामर्श से विभाग द्वारा यथा समय जारी अधिसूचना के अनुसार किया जा सकेगा.

(ख) अनुदान पाने वाले की आर्थिक स्थिति का सत्यापन प्रतिवर्ष सम्बंधित कलेक्टर की सिफारिश/आवेदक के निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट तीन) में शपथ पत्र के आधार पर भाषा संचालक द्वारा किया जाएगा तथा प्रति तीसरे वर्ष नवीकरण के समय वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा.

(ग) परिवार में केवल पत्नी/पति तथा नियम 2 (एक) (ग) में उल्लिखित आश्रित व्यक्ति ही परिवार के सदस्य माने जाएंगे.

(घ) यदि वर्ष के दौरान आवेदक की आय तथा आश्रितों की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी जानकारी अनिवार्य रूप से तत्काल भाषा संचालक को दी जाए.

(तीन) ऐसे आवेदक मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी हों.

3. सहायता का स्वरूप.–इस योजना के अन्तर्गत साहित्यकार/कलाकार को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की न्यूनतम राशि 150 रुपये तथा अधिकतम राशि 600 रुपये मासिक होगी.

4. सहायता राशि में वृद्धि.–यदि सहायता पाने वाला व्यक्ति सहायता राशि में वृद्धि के लिये आवेदन करे, तो शासन नियम 11 में उल्लिखित समिति/कार्यकारी समिति की सिफारिश पर नियम 3 में उपबन्धित सीमा तक सहायता राशि में वृद्धि कर सकेगा.

5. वितरण प्राधिकारी.–इस योजना के अन्तर्गत मंजूर वित्तीय सहायता की राशि भाषा संचालक, मध्यप्रदेश द्वारा नगद या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भेजी जाएगी. यदि पाने वाला चाहे तो मनीआर्डर द्वारा भेजी जा सकेगी.

6. सहायता की अवधि.–नीचे दिये गये नियम 8 के उपबन्ध के अधीन इस योजना के अन्तर्गत मंजूर आवर्ती मासिक सहायता ऐसी अवधि तक दी जाती रहेगी, जो राज्य शासन द्वारा निश्चित की जाय.

7. सहायता का नवीकरण.–(1) यदि सहायता पाने वाला व्यक्ति–

(क) अपने जिले के कलेक्टर की मार्फत वित्तीय सहायता के नवीकरण के लिए निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट दो) में आवेदन पत्र प्रस्तुत करे और सम्बंधित कलेक्टर उसकी सिफारिश करे, अथवा

(५) अपनी तथा अपने आश्रितों की आय के सम्बंध में विधिवत शपथ पत्र (Affidavit) निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट तीन) में प्रस्तुत करे.

तो सहायता ऐसी अवधि तक जारी रखी जा सकेगी जो शासन द्वारा निश्चित की जाय.

(2) 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदकों के सम्बंध में यह सहायता आजीवन होगी.

8. सहायता का बन्द किया जाना.–यदि सहायता पाने वाले के वित्तीय साधन सुधर जायें और उन्हें नियम (2) (दो) में उपबंधित आय से अधिक आमदनी होने लगे या शासन का अन्यथा समाधान हो जाय कि सहायता जारी रखना उचित नहीं है, तो इस योजना के अन्तर्गत सहायता देना किसी भी समय बन्द किया जा सकेगा.

9. मृत्यु हो जाने पर आश्रितों को सहायता.—सहायता पाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को मंजूर अवधि की असमाप्त अवधि तक सहायता पाने की अनुमति दी जा सकेगी. इसके बाद सहायता प्राप्त करने के लिए आश्रित को नियम 10 में निर्धारित तरीके से आवेदन करना होगा.

10. अनुदान पाने के लिए आवेदन करने का तरीका.–वित्तीय सहायता के लिए आवेदन-पत्र भाषा संचालक, मध्यप्रदेश, भोपाल को निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट एक) में उस जिले के कलेक्टर की मार्फत, जिसमें आवेदक निवास करता हो, भेजे जायेंगे.

साहित्यकारों/कलाकारों/आश्रितों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता साहित्य, कला एवं संस्कृति के प्रतिष्ठित विद्वानों की एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें एक हिन्दी का साहित्यकार, एक उर्दू का साहित्यकार, एक संगीतज्ञ तथा दो अन्य सदस्य होंगे. इस प्रकार गठित समिति की जानकारी भाषा संचालक, मध्यप्रदेश, भोपाल को दी जानी चाहिए. इस समिति की बैठक में प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जावेगा और अपने-अपने क्षेत्र में आवेदकों की सेवा एवं उनकी आयु को देखते हुए वित्तीय सहायता की सिफारिश की जाएगी.

सम्बंधित कलेक्टर, सिफारिश करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक आवेदन पत्र में दी गई जानकारी पूर्ण और स्पष्ट हो और वे उनकी कृतियों की प्रतियां, यदि उपलब्ध हों, अनिवार्य रूप से संलग्न करते हुए आवेदक को वित्तीय सहायता देने के सम्बंध में अपना स्पष्ट अभिमत देगें. जिला समिति की बैठक की कार्रवाई भाषा संचालनालय को भेजी जानी चाहिए.

यदि कोई साहित्यकार/कलाकार/आश्रित स्वयं आवेदन नहीं करता और उसकी जानकारी किसी प्रतिष्ठित कला/साहित्यिक संस्था या साहित्यकार/कलाकार के माध्यम से कार्यकारी समिति को मिलती है, तो समिति उसके सम्बंध में भी सिफारिश कर सकती है. इन सिफारिशों पर और इसी प्रकार की जानकारी यदि शासन को मिलती है तो ऐसे मामलों में शासन नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच करने के बाद, प्रकरण पर निर्णय ले सकेगा.

11. योजना का कार्यान्वयन.—-निम्नलिखित समिति योजना के सम्बंध में नीति विषयक सुझाव दे सकेगी तथा वित्तीय सहायता या वित्तीय सहायता राशि में वृद्धि की भी सिफारिश करेगी :—

1. मुख्यमंत्री/संस्कृति मंत्री, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
2. सचिव/विशेष सचिव संस्कृति विभाग	सदस्य
3. सचिव/विशेष सचिव, शिक्षा विभाग	सदस्य
4. सचिव/विशेष सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
5. मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन का एक प्रतिनिधि	सदस्य
6. मध्यप्रदेश साहित्य परिषद का एक प्रतिनिधि	सदस्य

7. मध्यप्रदेश उर्दू अकादेमी का एक प्रतिनिधि .. .. सदस्य

8. भारत भवन न्यास का एक प्रतिनिधि .. .. सदस्य

9 शासन द्वारा नामांकित (राज्य के) दो स्वतंत्र लेखक/कलाकार .. .. सदस्य

10 सचिव, मध्यप्रदेश कला परिषद् .. .. सदस्य

11. भाषा संचालक, मध्यप्रदेश .. .. सदस्य/सचिव

उक्त समिति योजना के कार्यान्वयन के लिए निम्नानुसार एक "कार्यकारी समिति" का गठन कर सकेगी, जिसका कार्यकाल तीन वर्षों का होगा :—

कार्यकारी समिति

1. सचिव/विशेष, सचिव, संस्कृति विभाग .. .. अध्यक्ष

2. सचिव/विशेष सचिव, वित्त विभाग .. .. सदस्य

3. साहित्यिक क्षेत्र के दो प्रतिनिधि (शासन द्वारा मनोनीत) .. .. सदस्य

4. कला क्षेत्र का एक प्रतिनिधि (शासन द्वारा मनोनीत) .. .. सदस्य

5. भाषा संचालक, मध्यप्रदेश .. .. सदस्य/सचिव.

परन्तु समिति के अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में "कार्यकारी समिति" का गठन कर सके.

उपर्युक्त कार्यकारी समिति मासिक सहायता के लिये प्राप्त आवेदन-पत्रों को सूक्ष्म जांच कर वित्तीय सहायता या वित्तीय सहायता राशि में वृद्धि की सिफारिशें शासन को सीधे प्रस्तुत कर सकेगी तथा आवश्यकतानुसार सहायता प्राप्त व्यक्तियों के प्रकरणों का पुनरावलोकन कर सकेगी.

समिति के अध्यक्ष समिति/कार्यकारी समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में नियमों के अन्तर्गत वित्तीय सहायता या वित्तीय सहायता राशि में वृद्धि की सिफारिश कर सकेंगे.

12. नियमों में किसी नियम को शिथिल करने का अधिकार शासन को होगा.

13. शासकीय निर्णय.—वित्तीय सहायता की मंजूरी के संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा.

14. ये नियम तत्काल प्रभावशील होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्याम प्रसाद वाजपेयी, विशेष सचिव.

शाकेमुभो— 1162— संभावि— 27.9.88— 5000

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 226-अ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 20 अगस्त 2007—श्रावण 29, शक 1929

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अगस्त 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-2/सं./30/2007.—राज्य शासन एतद्द्वारा अर्थाभावग्रस्त लेखकों और कलाकारों तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने के लिए वित्तीय सहायता योजना के नियम, 1986 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में,—

1. नियम (2) के उपनियम (एक) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए :—

(क) 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का ऐसा व्यक्ति जिसका कला तथा साहित्य के प्रति योगदान महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय हो,

(6)

2. नियम 2 के उपनियम (दो) में विनिर्दिष्ट मासिक आय की सीमा को निम्नानुसार संशोधित किया जाए :—

(1)	परिवार के अकेले सदस्य के लिए	रु. 1200/- मासिक
(2)	परिवार के दो सदस्यों के लिए	रु. 1500/- मासिक
(3)	परिवार के तीन या तीन से अधिक सदस्यों के लिए	रु. 2000/- मासिक

3. नियम 3 में विनिर्दिष्ट वित्तीय सहायता की राशि "न्यूनतम राशि 150 रुपये तथा अधिकतम राशि 600 रुपये" शब्दों एवं अंकों के स्थान पर शब्द एवं अंक "राशि 1500 रुपये (एक हजार पांच सौ रुपये)" प्रतिस्थापित किया जाए.

4. ये संशोधन छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तपेश चन्द्र गुप्ता, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

छत्तीसगढ़ शासन
संस्कृति विभाग
मंत्रालय
केपिटल काम्पलेक्स, महानदी भवन, नया-रायपुर

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक /02/2013

क्रमांक एफ 4-2/30/सं./2007 :- राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अर्थाभावग्रस्त लेखकों और कलाकारों तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने के लिए वित्तीय सहायता योजना नियम, 1986 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 3 में विनिर्दिष्ट वित्तीय सहायता की राशि में अंक एवं शब्द "राशि 1500 रूपये (एक हजार पांच सौ रूपये)" के स्थान पर अंक एवं शब्द "राशि 2000 रूपये (दो हजार रूपये)" प्रतिस्थापित जाए।

2. ये संशोधन दिनांक 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

-/-
(एन.के.भट्टर)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
संस्कृति विभाग

पृ.क्रमांक एफ 4-2/30/सं./2007 रायपुर, दिनांक 15/03/2013
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, मान. संस्कृति मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व, संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर,
3. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, चिखली, खैरागढ़ रोड, छत्तीसगढ़, राजनांदगांव
4. ऑफिस कापी नस्ती में संधारित रखने हेतु,

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3378
15.3.13

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
संस्कृति विभाग

उपसंचा. (रा.भा.)
15/3/13
संचालक

नये आवेदकों के लिए

नवीन आवेदन का प्रारूप

परिशिष्ट - एक (नियम 10)

साहित्य और कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ऐसे व्यक्तियों को जो कि अर्थाभावग्रस्त हो, या उनके आश्रितों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के लिए आवेदन-पत्र का निर्धारित प्रारूप

1. पूरा नाम और पता ....
2. स्थायी निवास ....
3. जन्म तारीख ....
4. स्वयं की वर्तमान ....

   आय और आय के अन्य साधन, यदि कोई हो
5. आवेदक पर पूर्णतया आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या,

   उनसे संबंध, उम्र, व्यवस्था और आय के साधन के ब्यौरे -

नाम	आयु	संबंध	व्यवसाय	आय और आय के साधन
1	2	3	4	5

6. स्वयं की पत्नी/पति बच्चों या ....

   आश्रितों के नाम पर होने वाली ....

   अचल सम्पत्ति कहां स्थित है, ...

   उसका क्षेत्रफल और मूल्य तथा उससे होने वाली आय
7. स्वयं की आश्रितों की तथा अचल ....

   सम्पत्ति ये होने वाली कुल आय ....

   (क्र.4, 5 तथा 6 का योग)
8. लेखक या कलाकार द्वारा साहित्य ....

   अथवा कला के क्षेत्र में किये गये ....

   महत्वपूर्ण कार्यो का विवरण

9. लेखक या कलाकार को शासन या किसी प्रमुख साहित्यिक अथवा कला संस्था से प्राप्त किसी मान्यता या सम्मान के ब्यौरे ....

10. अन्य संगत जानकारी यदि कोई हो ....

....

हस्ताक्षर

टीपः

1. प्रत्येक कालम में जानकारी स्पष्ट तथा पूर्ण दी जानी चाहिये ।
2. लेखकों के आवेदन पत्रों के साथ उनकी कृतियों, यदि उपलब्ध हो, अनिवार्य रूप से संलग्न की जानी चाहिये।
3. नियमानुसार आवेदक का आयु 60 या 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिये।
4. आवेदन कलेक्टर के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।
5. अपूर्ण/अधूरे आवेदन पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।

कला+ 82 को अनुदान ...

परिशिष्ट-दो

(नियम 7-क)

संस्कृति एवं पुरातत्व, संचालनालय (संस्कृति विभाग) की योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त व्यक्तियों की आय के सत्यापन/वित्तीय सहायता अवधि के नवीनीकरण के लिए कलेक्टर के मार्फत आवेदन का निर्धारित प्रपत्र

नाम..आयु...........................

पता...

1. वर्तमान में स्वीकृत वित्तीय सहायता राशि ....मासिक
2. वित्तीय सहायता के अलावा अन्य स्त्रोतों से स्वयं की वर्तमान आमदनी तथा आमदनी के साधन :

स्त्रोत (1)	आमदनी (2)
(1) चल/अचल संपत्ति से	
(2) पेंशन से	
(3) सम्मान निधि से	
(4) अन्य	

3. आवेदक पर पूर्णतया आश्रित सदस्यों की संख्या..
4. आवेदक पर पूर्णतया आश्रित सदस्यों का विवरण -

क्र. (1)	नाम (2)	आयु (3)	संबंध (4)	व्यवसाय (5)	आमदनी तथा उसके स्त्रोत (6)

5. स्वयं अथवा परिवार के आश्रित सदस्यों के नाम, अचल.......................................
   संपत्ति, उसका प्रकार, उपयोग, क्षेत्रफल और उसका मूल्य....................................
6. क्रमांक 5 में उल्लेखित संपत्ति से होने वाली आमदनी के ब्यौरे...............................
7. समस्त साधनों से होने वाली आमदनी (क्र.2,4 तथा..
   6 में दर्शायी आमदनी का योग)

....

आवेदक के हस्ताक्षर

परिशिष्ट–तीन
(नियम 7–ख)

छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग (संस्कृति एवं पुरातत्व, संचालनालय) की योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त व्यक्तियों की वित्तीय सहायता अवधि के नवीनीकरण/आय के सत्यापन के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ-पत्र का निर्धारित प्रपत्र

शपथ–पत्र

मैं (नाम)..आत्मज ....

आयु................निवासी...एतद्

द्वारा शपथपूर्वक निम्नानुसार कथन करता हूं कि :-

1. मुझे छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग (भाषा संचालनालय) की योजना के अंतर्गत....... ....मासिक वित्तीय सहायता स्वीकृत है।
2. वित्तीय सहायता के अलावा वर्तमान में मुझे निम्नलिखित स्त्रोंतों से कुल रू............... मासिक आमदनी होती है।

स्त्रोत (1)	आमदनी (2)
(1) चल/अचल संपत्ति से	
(2) पेंशन से	
(3) सम्मान निधि से	
(4) अन्य	

3. मुझ पर पूर्णतया आश्रित सदस्यों की संख्या .... है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	नाम	आयु	संबंध	व्यवसाय	आमदनी तथा उसके स्त्रोत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

4. मुझे योजना के वर्तमान नियमों के अंतर्गत सहायता की पात्रता है।
5. यदि कोई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाई जाती है तो उसके आधार पर मुझे दी गई वित्तीय सहायता राशि शासन द्वारा मुझसे वसूली योग्य होगी।

....

(शपथगृहीता)

सत्यापन

मैं ....

निवासी .... उपरोक्त शपथगृहीता एतद् द्वारा सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथ-पत्र के पैरा 1 से 5 में दी गई जानकारी मेरे निजि ज्ञान से पूर्ण एवं सत्य है।

उपर्युक्त शपथ-पत्र दिनांक .... को .... (स्थान) में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।

....

(शपथगृहीता)

* जिन व्यक्तियों को तीन वर्षों के लिए मान्यता स्वीकृत है शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करें। (Renewal)